

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन / U.T. Administration of Daman & Diu
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति / Town Official Language Implementation Committee
राजभाषा विभाग, दमण / Rajbhasha Vibhag, Daman-396 220

सं. रा.भा.7(10)/नराकास बैठक/2016/

दिनांक : 16/06/2016

सेवा में,

सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं
सदस्य, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
दमण ।

विषय : नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दमण की 29वीं बैठक हेतु अर्धवार्षिक
रिपोर्ट भेजने के बारे में ।

महोदय,

सादर सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, मुंबई से प्राप्त निर्देश के अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दमण की 29वीं बैठक माननीय विकास आयुक्त, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली की अध्यक्षता में जुलाई, 2016 के दूसरे सप्ताह में सचिवालय सभागार में आयोजित की जाएगी । उक्त बैठक में दिनांक 01 जनवरी से 30 जून, 2016 के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दमण के सभी कार्यालयों द्वारा राजभाषा हिन्दी में किये गए कार्यों के बारे में समीक्षा की जाएगी एवं राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में निर्णय लिये जाएंगे ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया दिनांक 01 जनवरी से 30 जून, 2016 तक की छमाही रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में 07 जुलाई, 2016 तक राजभाषा विभाग, दमण में भिजवाने का कष्ट करें । निर्धारित प्रपत्र daman.nic.in पर राजभाषा विभाग से डाउनलोड किया जा सकता है ।

भवदीय



(अन्तर्यामी परिड़ा)

सहायक निदेशक (राजभाषा)
दमण

सं./No दिनांक/Dated :-

सेवा में,

सहायक निदेशक (राजभाषा),

राजभाषा विभाग,

फोर्ट एरिया, मोटी दमण.

विषय :- तिमाही/छमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट का प्रेषण / Submission of Quarterly/Half yearly Hindi Progress Report.

महोदय,

दिनांक को समाप्त हुए तिमाह/छमाह के लिए इस कार्यालय की तिमाही/छमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट नीचे इस प्रकार प्रेषित की जाती है :-

तिमाही/छमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट / Quarterly Hindi Progress Report.

1.	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात* की स्थिति	
	(क)	जारी कागजातों की कुल संख्या
	(ख)	इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजातों की संख्या

- इनमें सामान्य आदेश, परिपत्र, सूचना, प्रेसविज्ञप्ति, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञापत्र, निविदा, निविदाप्रपत्र, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न आदि शामिल हैं।

2.	हिन्दी में प्राप्त पत्रों की स्थिति (राजभाषा नियम-5)	
	(क)	हिन्दी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या
	(ख)	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए

3.	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)	
		अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या
		इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी में दिये गये
	'क' क्षेत्र से	
	'ख' क्षेत्र से	

4.	भेजे गये कुल पत्रों का ब्यौरा			
		हिन्दी/द्विभाषी में	केवल अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या
		हिन्दी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत		
		'क' क्षेत्र को		
		'ख' क्षेत्र को		
	'ग' क्षेत्र को			
	योग			

“क” क्षेत्र – बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं झारखण्ड राज्य तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र।

“ख” क्षेत्र – गुजरात, महाराष्ट्र एवं पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमण एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

“ग” क्षेत्र – ऊपर निर्दिष्ट राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अलावे सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र “ग” क्षेत्र में हैं।

5.	फाइलों पर हिन्दी में कार्य :	
	(क)	हिन्दी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या
	(ख)	अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या
	(ग)	तिमाही/छमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियों की कुल संख्या
	(घ)	हिन्दी टिप्पण का प्रतिशत

6.	हिन्दी कार्यशालाएँ :				
	छमाही के दौरान कार्यशाला आयोजन की तिथि एवं संख्या	प्रशिक्षण की अवधि (घंटों में)	प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	कुल संख्या

7.	विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि	1.
		2.

8.	(i)	क्या कार्यालय राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है ? (अर्थात कार्यालय के कुल स्टाफ में से 80 को कार्यसाधक ज्ञान है)	
	(ii)	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय आदि के नियंत्रणाधीन कार्यालयों (यदि हो) की राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचना का विवरण	
		कुल कार्यालयों की संख्या	अधिसूचित कार्यालयों की संख्या

9.	अधिकारियों/कर्मचारियों के राजभाषा हिन्दी का ज्ञान :							
			अधिकारी/कर्मचारी		प्रशिक्षित			कुल संख्या
	(क)	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या	कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त	प्रवीणता प्राप्त	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	
	(ख)	उपर्युक्त 'क' में से हिन्दी का ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या			-	-		
	(ग)	कितने कर्मों हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण पा रहे हैं ।			-	-		
	(घ)	हिन्दी में प्रशिक्षण के लिए शेष			-	-		
	(ङ)	हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या						

10.	पारंगत प्रशिक्षण	कुल संख्या	प्रशिक्षित	प्रशिक्षित हेतु शेष

11.		कुल संख्या	प्रशिक्षित कर्मिकों की संख्या	प्रशिक्षित में से कितने हिन्दी में काम करते हैं	प्रशिक्षण के लिए शेष
	(क)	आशुलिपिक			
	(ख)	टंकक/लिपिक			
	(ग)	कर / पोस्टल सहायक / डाटा इंट्री ऑपरेटर आदि			

12.	अनुवाद का ज्ञान		अधिकारी	कर्मचारी	कुल संख्या
	(क)	कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी जो अनुवाद कार्य करते हैं ।			
	(ख)	कितनों ने त्रैमासिक/प्रारंभिक 30 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।			
	(ग)	कितनों को प्रशिक्षण दिया जाना शेष है ।			
	(घ)	कितने राजभाषा विभाग द्वारा विकसित ई-टूल्स (मंत्रा, श्रुतलेखन, ई महाशब्दकोश आदि) का प्रयोग करते हैं ।			

13.	हिन्दी में कंप्यूटर प्रशिक्षण :		
	कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	कंप्यूटर पर हिन्दी में प्रशिक्षितों की संख्या	कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने वालों की संख्या

14.	कंप्यूटर से संबंधित विवरण :			
		कुल संख्या	द्विभाषी	केवल अंग्रेजी में
	कंप्यूटर / लैपटॉप			यूनिकोड समर्थित

15.	कोड मैनुअल मानकीकृत प्रपत्र आदि			
		कुल संख्या	द्विभाषी/हिन्दी में	केवल अंग्रेजी में
	(क) अधिनियम / नियम, कार्यालयीन कोड/मैनुअल / प्रक्रिया साहित्य आदि			
	(ख) मानकीकृत प्रपत्र			

16.	राजभाषा नियम 8 (4) के अंतर्गत संपूर्ण कार्य हिन्दी में करने हेतु विनिर्दिष्ट अनुभाग :		
	(क)	कुल अनुभागों की संख्या	
	(ख)	हिन्दी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुभागों की संख्या	

17.	इस अवधि के दौरान किए गए राजभाषा संबंधी निरीक्षण :		
(क)	(i)	कुल अनुभागों की संख्या	
	(ii)	इनमें से निरीक्षित अनुभागों की संख्या	
(ख)	(i)	संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों इत्यादि की कुल संख्या	
	(ii)	इनमें से निरीक्षित कार्यालयों की संख्या	

18.	इस अवधि के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त (विवरण संलग्न करें):		
	(क)	हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह (कब से कब तक):	
	(ख)	हिन्दी में अन्य आयोजन/संगोष्ठी की तिथि और विषय	

19. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अंतर्गत रजिस्ट्रों के प्रारूप एवं शीर्षक तथा नामपट्ट आदि के द्विभाषीकरण की स्थिति :

(i) रजिस्टर

कुल रजिस्ट्रों की सं	जिनके शीर्षक एवं शीर्षनाम द्विभाषी हैं	जिनमें प्रविष्टियां हिन्दी में की जाती हैं	यदि सभी रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां हिन्दी में नहीं की जाती हैं तो कब से की जाएंगी?

(ii) कार्यालय में उपलब्ध रबड़ की मोहरों आदि की संख्या :

		कुल संख्या	केवल अंग्रेजी में
1.	रबड़ की मोहरें		
2.	साइन बोर्ड		
3.	सीलें		
4.	पत्र शीर्ष		
5.	नामपट्ट		
6.	वाहनों पर कार्यालय का विवरण		
7.	बैज/बिल्ले		

20. शब्दकोष/शब्दावली तथा सहायक साहित्य :

		कुल संख्या	वितरण की स्थिति	
			अधिकारियों को	कर्मचारियों को
(क)	शब्दकोष (अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी)			
(ख)	तकनीकी शब्दावलियां			
(ग)	सहायक साहित्य			

21. तिमाह के दौरान विभाग से संबंधित आयोजित प्रशासनिक बैठकों की संख्या :

मद	कुल संख्या	हिन्दी में जारी की गई	अंग्रेजी में जारी की गई	द्विभाषी रूप में जारी की गई
बैठकों की कार्यसूची				
बैठकों के कार्यवृत्त				

22. वेबसाइट / इंटरनेट की स्थिति :

	(क)	वेबसाइट/इंटरनेट का पता	आंशिक रूप से हिन्दी में	पूरी तरह से द्विभाषी एवं अद्यतित रखना
	(ख)	प्रयुक्त साफ्टवेयर/मॉड्यूल का नाम	अंग्रेजी	द्विभाषी

23. सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां :

सेवा पुस्तिकाओं की कुल संख्या	उनकी संख्या जिनके शीर्षक तथा शीर्ष नाम द्विभाषी हैं	उनकी संख्या जिनमें प्रविष्टियां हिन्दी में की जाती हैं	यदि सभी में प्रविष्टियां हिन्दी में नहीं की जाती हैं, तो कब तक की जाएंगी

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है ।

मंत्रालय/विभाग संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर मुहर सहित	
अध्यक्ष का नाम	
पदनाम	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल का पता	

रिपोर्ट बनाने वाले कर्मचारी का नाम एवं पदनाम : _____

मोबाईल नम्बर : _____